राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– **17/2023**

GCMS No.2023/49

सन्तोष देवी पत्नी चन्दाराम जाति मेघवाल निवासी नाथा की नांगल तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राज0

........वादिया

ब–ना–म

1. मनीराम पुत्र छोटेलाल
2. रमेश कुमार पुत्र छोटेलाल
3. रामस्वरूप पुत्र छोटेलाल
4. रोहताश पुत्र छोटेलाल
5. सुरेश कुमार पुत्र छोटेलाल
   जाति मेघवाल निवासी नाथा की नांगल तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राज0
6. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नंगली सलेदीसिंह जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती एवं खाता विभाजन

उपस्थित अधिवक्ता :– श्री गिरधारी लाल सैनी – वादिया की ओर से

–:निर्णय :– **दिनांक** 25.06.2025

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16–07–2024 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि **ग्राम नंगलीसलेदीसिंह** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि **हाल खाता संख्या नया 124** में दर्ज खसरा नंबर 496 रकबा 1.49 है. में वादिया का दर्ज हिस्सा 176/745 के स्थान पर 0.44 है. हिस्सा दर्ज किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 का 0.7520 है. भूमि बहिस्सा बराबर दर्ज कर [illegible] रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादी [illegible] 5 बदस्तूर जमाबन्दी रहेगा। तदनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि में वादिया का 0.44 है. [illegible] का अलग से खाता विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.07.08 17:07:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Scanned with OKEN Scanner

कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बंधी राजस्व विभाग के परित्र दिनांक 06.11.2004 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प.3(17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 के बिन्दु संख्या 6 को मध्यनजर रखते हुए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक रा.म./न्याय/स्था./प–15/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को लिखित में सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./2024/4770 दिनांक 16.12.2024 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादिया एक पक्षीय विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादिया ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16–12–2024 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16–12–2024 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–5'' एवं प्रदर्श नक्शा ट्रेस–''ब'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16–12–2024 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–5'' एवं प्रदर्श नक्शा ट्रेस–''ब'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16–12–2024 (प्रदर्श–''अ–1 से अ–5'' व प्रदर्श नक्शा ट्रेस–''ब'') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादिया के हिस्से का अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16–12–2024 (प्रदर्श–''अ–1 से अ–5'' व प्रदर्श नक्शा ट्रेस–''ब'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श नक्शा ट्रेस–''ब'' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.07.08 17:07:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner